AMATEUR KABADDI ASSOCIATION HARYANA

प्रतियोगिता मे भाग लेने संबंधित नियम/शर्ते : -

1. सब जूनियर हरियाणा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता

(i) आयु 16 वर्ष से कम (जन्म 01 जून 2008 के बाद)

(ii) जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड(फोटो कॉपी)

(iii)बालक/बालिका वर्ग में वजन(55KG से कम)

2.जूनियर हरियाणा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता

(i) आयु 20 वर्ष से कम (जन्म 01 जून 2004 के बाद)

(ii) जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड(फोटो कॉपी)

(iii)बालक वर्ग में वजन(70KG से कम)

(iv)बालिका वर्ग में वजन(65KG से कम)

3.सीनियर हरियाणा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता

(i)आधार कार्ड(फोटो कॉपी)

(ii)पुरुष वर्ग में वजन(85KG से कम)

(iii)महिला वर्ग में वजन(75KG से कम)

नोट: उक्त सभी प्रतियोगिताएं मैट पर खेली जायेंगी अत: सभी खिलाड़ीयो के पास मैट शूज एंव एक जैसी किट मे खेलना अनिवार्य है।

4.सीनियर हरियाणा राज्य स्तरीय बीच कबड्डी प्रतियोगिता

(i)आधार कार्ड(फोटो कॉपी)

(ii)पुरुष वर्ग में वजन(85KG से कम)

(iii)महिला वर्ग में वजन(75KG से कम)

5.सीनियर हरियाणा राज्य स्तरीय सर्कल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता

(i)आधार कार्ड(फोटो कॉपी)

प्रतियोगिताओ में भाग लेने हेतू जरूरी शर्ते :

(1) समस्त हरियाणा राज्य स्तरीयप्रतियोगिता मे आवश्यक होने पर NADA द्वरा डोप टेस्ट करवाया जा सकता हैं।

(2) हरियाणा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मे भाग लेने से पूर्व प्रत्येक ज़िले को ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता करवाना अनिवार्य होगा।

(3) सर्वप्रथम ज़िले की टीमो मे ज़िले के खिलाड़ियो को ही प्राथमिकता दे।

(4) पांच खिलाड़ी जो संम्बन्धित ज़िले के मूल निवासी होंगे, को खिलाना अनिवार्य है।

(5) सभी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओ मे रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं आधार कार्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओ मे बालिका एवं महिला टीमो के साथ महिला मैनेजर/कोच इंस्ट्रक्टर दोनों में से एक का होना अनिवार्य है।

(7) राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओ मे खिलाड़ियो का वजन कमेटी द्वारा निर्धारित समय पर खेल किट मे एक साथ पूरी टीम का वजन करवाना अनिवार्य है। प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ियो के वजन कराते समय मूल इंट्री फॉर्म, आई॰डी॰ पूर्फ की कॉपी, प्रत्येक खिलाडी के 2 फोटो (फोटो के पीछे की तरफ खिलाडी अपना नाम व जन्म दिनांक अंकित करेंगे) जमा कराने अनिवार्य है। प्रत्येक टीम को मैच के दौरान निर्धारित ड्रेस(टी-शर्ट जिस पर चेस्ट नंबर एवं पीछे की साइड मे ज़िले का नाम, सोर्ट्स, मैट शूज आदि) मे आना अनिवार्य होगा अन्यथा टीम को भाग नही लेने दिया जायेगा।

(8) रेलवे, सेर्विसेज, बीएसएनएल, बैंक स्पोर्ट्स बोर्ड, SAI एवं अन्य जिनकी टीम सीधी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ मे भाग लेती है उनके किसी भी खिलाडी, प्रशिक्षक को अपनी ज़िलास्तरीय प्रतियोगिताओ मे भाग न दिलाये और राज्य स्तरीयप्रतियोगिताओ मे अपने ज़िले की टीम का हिस्सा न बनाये। संगयान मे आने पर उस टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

(9) ऊपर लिखित उपरोक्त विभागो को छोड़कर शेष अन्य विभागों के खिलाडी ज़िला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओ मे भाग लेते है तो अपने विभाग की N.O.C. प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा इसके अभाव मे भाग नही ले सकता। अन्य राज्यों में कार्यरत हरियाणा प्रदेश के मूल निवासी खिलाडियों को भी अपने विभाग की N.O.C. प्रस्तुत करनी होगी।

(10) जिन खिलाड़ियो का हरियाणा राज्य की A.K.A.H. से रजिस्ट्रेशनहै उन्ही खिलाड़ियो को प्रतियोगिता मे भाग दिलवाये अन्य किसी राज्य या बोर्ड की तरफ से A.K.F.I. मे रजिस्ट्रेशन है तो उन खिलाड़ियो को अपनी टीम का हिस्सा न बनाये। संगयान मे आने पर उस टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

(11) किसी एक खेल वर्ष मे जब खिलाडी किसी एक ज़िले की टीम मे भाग ले लेता है तो वह खिलाडी उस वर्ष मे केवल उसी ज़िले से प्रतियोगिताओ मे भाग ले सकता है।

(12) प्रतियोगिता की दिनांक से 3 दिवस पूर्व तक प्रत्येक ज़िला इकाईयां प्रतियोगिता की इंट्री

Amateur kabaddi Association Haryana पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य हैं यहा यह भी अवगत करवाया जाता हैं कि उन्ही जिला इकाईयों की टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी जो AKAH से मान्यता प्राप्त हैं वही मान्य होगा। इसके अभाव मे टीम के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता मे भाग लेने नही दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी ज़िला इकाई की होगी।

(13) सभी नेशनल स्टाइल राज्य स्तरीय कबड्डीप्रतियोगिताओ मे ज़िला इकाइयों की टीम मे कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 12 खिलाड़ी होना अनिवार्य है व सर्कल स्टाइल राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओ मे ज़िला इकाइयों की टीम मे कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 14 खिलाड़ी होना अनिवार्य है।

(14) सभी ज़िला इकाइयों के इंट्री फॉर्म पर उस ज़िलासचिव की मोहर और हस्ताक्षर व मोबाईल न० होना अनिवार्य है।

(15) सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।

नोट:- हरियाणा राज्य की प्रत्येक ज़िला इकाई को ऊपर लिखित सभी नियमो का पालन करना अनिवार्य है। अन्यथा नियम का उल्लंघन होने पर उस ज़िला इकाई के सचिव की जवाबदेही होगी।

संलग्न:- इंट्री फॉर्म

Naseeb

(नसीब)

महासचिव(A.K.A.H)